

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 23-08-2025

विषय सूची

- » सुरक्षित एआई अपनाने के माध्यम से न्याय वितरण को सुदृढ़ करना
- » संसद द्वारा ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए पाँच प्रमुख समुद्री विधेयक पारित किए
- » वैश्वीकरण के लिए प्रवासन आवश्यक है: अमर्त्य सेन
- » ओणम से पूर्व चेंदमंगलम का प्रसिद्ध हथकरघा उद्योग संकट में
- » राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025

संक्षिप्त समाचार

- » भारत के महापंजीयक(RGI)
- » स्ट्रे डॉक्स पर सर्वोच्च न्यायालय का संशोधित आदेश
- » अधिगम परिणाम-आधारित पाठ्यचर्या रूपरेखा का प्रारूप (LOCF)
- » अनुच्छेद 311
- » द्रुज्बा पाइपलाइन
- » डायरेक्ट एक्शन डे
- » पोंजी योजना
- » रॉयल बंगाल टाइगर
- » अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस

सुरक्षित एआई अपनाने के माध्यम से न्याय वितरण को सुदृढ़ करना

संदर्भ

- केरल उच्च न्यायालय भारत में प्रथम न्यायालय बना जिसने जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए।

न्यायिक प्रक्रियाओं में AI के अवसर

- **मामला प्रबंधन और दक्षता:** AI मामलों को अलग करना, टैग करने और प्राथमिकता देने में सहायता कर सकता है, जिससे न्यायालय के कर्मचारियों पर प्रशासनिक भार कम होता है।
 - ▲ सर्वोच्च न्यायालय का AI उपकरण SUPACE (सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, 2021) न्यायाधीशों को प्रासंगिक उदाहरण जल्दी पहचानने में सहायता करता है।
- **अनुवाद और पहुंच:** भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं और सैकड़ों बोलियाँ हैं।
 - ▲ AI-संचालित अनुवाद न्यायिक दस्तावेजों और निर्णयों को भाषाई बाधाओं के पार सुलभ बना सकता है।
 - ▲ SUVAAS (सर्वोच्च न्यायालय विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर) परियोजना ने हजारों निर्णयों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया है।
- **कानूनी अनुसंधान और ज्ञान समर्थन:** AI-संचालित खोज उपकरण अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों को प्रासंगिक उदाहरणों को तीव्रता से खोजने में सहायता कर सकते हैं, जिससे विलंब कम होता है।
 - ▲ वैश्विक स्तर पर, यू.के. और सिंगापुर जैसे देश कानूनी विश्लेषण और मामलों के परिणामों की भविष्यवाणी के लिए AI प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं।
- **प्रतिलेखन और अभिलेखन:** मौखिक तर्कों और गवाहों की गवाही का स्वचालित प्रतिलेखन सटीकता बढ़ाता है और मामले के रिकॉर्ड तैयार करने में देरी को कम करता है।

- **न्याय तक पहुंच में सुधार:** AI चैटबॉट और वर्चुअल सहायक मुकदमेबाजों, विशेष रूप से बिना कानूनी प्रतिनिधित्व वाले लोगों को प्रक्रियाओं को समझने, मामले की स्थिति ट्रैक करने और याचिकाएं दाखिल करने में सहायता कर सकते हैं।
 - ▲ DoNotPay, अमेरिका में एक AI-संचालित कानूनी सहायक, यह दर्शाता है कि कैसे तकनीक के माध्यम से मुकदमेबाजों को सशक्त किया जा सकता है।
- **ई-कोर्ट्स परियोजना के लिए समर्थन:** एआई ई-कोर्ट्स परियोजना के चरण III के विज्ञान दस्तावेज के साथ संरेखित है, जिसका उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका का डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण करना है।
- **न्यायपालिका में AI की उभरती चिंताएं त्रुटियाँ और भ्रम:** AI अनुवाद और प्रतिलेखन में त्रुटियाँ रिकॉर्ड को विकृत करने का जोखिम उत्पन्न करती हैं।
 - ▲ बड़े भाषा मॉडल (LLMs) ने झूठी मिसालें और उद्धरण गढ़ने की प्रवृत्ति दिखाई है।
- **पक्षपात और निर्भरता:** AI-सक्षम कानूनी अनुसंधान में खोज पक्षपात हो सकता है, जिससे प्रासंगिक उदाहरण छूट सकते हैं।
 - ▲ अत्यधिक निर्भरता से निर्णय प्रक्रिया नियम-आधारित आउटपुट तक सीमित हो सकती है, जिससे मानवीय विवेक की सूक्ष्मता दरकिनार हो जाती है।
- **डेटा संरक्षण और गोपनीयता:** न्यायिक डेटा के भंडारण और उपयोग पर स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति चिंताओं को उत्पन्न करती है।
- **बुनियादी ढांचे की खामियाँ:** न्यायालयों में असमान इंटरनेट कनेक्टिविटी, पुराना हार्डवेयर और सीमित तकनीकी विशेषज्ञता की समस्याएं हैं।

AI के जिम्मेदार उपयोग के लिए सुरक्षा उपाय

- **AI साक्षरता और क्षमता निर्माण:** न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मचारियों को AI का प्रभावी उपयोग करने तथा इसकी सीमाओं को समझने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

- ▲ न्यायिक अकादमियों और बार एसोसिएशनों को AI शासन विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना चाहिए।
- **पारदर्शिता और सहमति:** यदि निर्णय प्रक्रिया में AI उपकरणों का उपयोग किया जाता है तो मुकदमेबाजों को सूचित किया जाना चाहिए।
 - ▲ मुकदमेबाजों को AI-सहायता प्राप्त प्रक्रियाओं से बाहर निकलने का विकल्प देने की व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए।
- **खरीद और मूल्यांकन ढांचे:** AI उपकरणों की विश्वसनीयता, व्याख्यात्मकता, डेटा सुरक्षा और जोखिम शमन के लिए मानकीकृत खरीद दिशानिर्देश बनाए जाने चाहिए।
 - ▲ पूर्व-खरीद अध्ययन यह सुनिश्चित करें कि किसी समस्या के लिए AI ही सर्वोत्तम समाधान है।
- **संस्थागत तंत्र:** न्यायपालिका के भीतर तकनीकी कार्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए, जैसा कि ई-कोर्ट्स चरण III में कल्पना की गई है, ताकि AI को अपनाने की निगरानी की जा सके।
 - ▲ विशेषज्ञों को विक्रेता अनुपालन, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं और प्रणाली के प्रदर्शन की निगरानी करनी चाहिए।
- **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएँ यूरोपीय संघ:** EU AI अधिनियम (2024) न्यायिक AI को “उच्च जोखिम” के रूप में वर्गीकृत करता है, जिसके लिए कठोर निगरानी, मानवीय जवाबदेही और पक्षपात के विरुद्ध सुरक्षा की आवश्यकता होती है। यह EU के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाता है जो अपनाने की गति की तुलना में अधिकारों और नैतिकता को प्राथमिकता देता है।
- **सिंगापुर:** यहां की न्यायपालिका एक सख्त मानव-इन-द-लूप मॉडल का पालन करती है, जहां AI अनुसंधान और दस्तावेज़ समीक्षा जैसे कार्यों में सहायता करता है लेकिन कभी भी न्यायिक तर्क को प्रतिस्थापित नहीं करता।
 - ▲ सिंगापुर न्यायिक नवाचार प्रयोगशालाएं भी चलाता है जो AI उपकरणों को अपनाने से पहले परीक्षण करती हैं।

- **चीन:** यहां “स्मार्ट कोर्ट्स” की स्थापना की गई है, जहां AI मामले दाखिल करने, निर्णय की सिफारिशें देने और यहां तक कि राय का मसौदा तैयार करने में सहायता करता है।

Source: TH

संसद द्वारा ब्लू इकोनॉमी को प्रोत्साहन देने के लिए पाँच प्रमुख समुद्री विधेयक पारित

संदर्भ

- संसद ने हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में पाँच प्रमुख विधेयकों को पारित किया, जिससे औपनिवेशिक युग के समुद्री कानूनों में व्यापक परिवर्तन हुआ और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।

परिचय

- **नए विधेयक:** बिल्स ऑफ लैडिंग 2025, कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, कोस्टल शिपिंग बिल 2025, मर्चेन्ट शिपिंग बिल 2025, और इंडियन पोर्ट्स बिल 2025।
 - ▲ **बिल्स ऑफ लैडिंग, 2025** का उद्देश्य कानूनी दस्तावेजों को सरल बनाना है ताकि विवाद कम हों और व्यापार करने में आसानी हो।
 - ▲ **कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल, 2025** ने 1925 के अधिनियम को प्रतिस्थापित किया, और हेग-विस्बी नियमों को अपनाया जिससे मुकदमेबाजी में कमी और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुदृढ़ता आएगी।
 - ▲ **कोस्टल शिपिंग बिल, 2025** का लक्ष्य भारत की 6% मोडल हिस्सेदारी को पुनर्जीवित करना है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत में वार्षिक लगभग ₹10,000 करोड़ की बचत होगी, साथ ही प्रदूषण और सड़क जाम भी कम होगा।
 - ▲ **मर्चेन्ट शिपिंग बिल, 2025** ने 1958 के पुराने अधिनियम को परिवर्तित कर दिया, जिससे जहाजी दुर्घटनाओं की शीघ्र निकासी और बचाव कार्यों को सक्षम बनाया गया।

- ▲ **इंडियन पोर्ट्स बिल, 2025** ने 1908 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया, एक समुद्री राज्य विकास परिषद बनाई गई ताकि राष्ट्रीय योजना बेहतर हो सके, राज्य समुद्री बोर्डों को छोटे बंदरगाहों के प्रबंधन के लिए अधिक अधिकार दिए गए, और राज्य स्तर पर विवाद समाधान की व्यवस्था की गई।

भारत का समुद्री क्षेत्र

- **रणनीतिक स्थिति:** विश्व के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्गों के किनारे स्थित भारत एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और उभरती वैश्विक शक्ति है।
- **भारत का समुद्री क्षेत्र अवलोकन:** भारत के व्यापार का 95% मात्रा और 70% मूल्य समुद्री मार्ग से होता है, जिसमें बंदरगाह अवसंरचना अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- **कार्गो ट्रेफिक वृद्धि:** 2014 से 2024 के बीच तटीय कार्गो ट्रेफिक में 119% की वृद्धि हुई, और 2030 तक 230 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है।
- **माल निर्यात में वृद्धि:** भारत का माल निर्यात FY23 में USD 451 बिलियन तक पहुंच गया, जो FY22 में USD 417 बिलियन था।
- **समुद्री क्षेत्र का महत्व:** भारत 16वां सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है, वैश्विक शिपिंग में एक प्रमुख स्थान रखता है, और इसके जलमार्गों से प्रमुख व्यापार मार्ग गुजरते हैं।
- **उपलब्धियाँ:** पोर्ट्स, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय ने विगत दशक में माल हैंडलिंग क्षमता में 103% की वृद्धि की है।
- **भविष्य के लक्ष्य:** भारत ने 2035 तक बंदरगाह अवसंरचना परियोजनाओं में US\$ 82 बिलियन के निवेश की योजना बनाई है ताकि समुद्री क्षेत्र को सुदृढ़ किया जा सके।
 - ▲ भारत अगले दशक में अपने बेड़े में कम से कम 1,000 जहाजों की वृद्धि के लिए एक नई शिपिंग कंपनी स्थापित करने की योजना बना रहा है।

चुनौतियाँ

- **अवसंरचना की कमी:** कुछ बंदरगाहों पर अपर्याप्त और पुराने ढांचे के कारण क्षमता और दक्षता सीमित है।
- **भीड़भाड़:** प्रमुख बंदरगाहों पर उच्च ट्रेफिक वॉल्यूम के कारण देरी, टर्नअराउंड समय में वृद्धि और उत्पादकता में कमी आती है।
- **पर्यावरणीय चिंताएँ:** जहाजों और बंदरगाह संचालन से होने वाले प्रदूषण और स्थायित्व से जुड़ी समस्याएं।
- **लॉजिस्टिक्स बाधाएँ:** बंदरगाहों, सड़कों और रेलवे के बीच परिवहन कनेक्टिविटी की अक्षमता, जिससे माल की सुचारू आवाजाही प्रभावित होती है।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धा:** अन्य वैश्विक समुद्री केंद्रों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जिससे निरंतर निवेश और आधुनिकीकरण की आवश्यकता है।

सरकार की पहलें

- **सागरमाला कार्यक्रम:** भारत के समुद्री तट और नौगम्य जलमार्गों का लाभ उठाने पर केंद्रित।
 - ▲ बंदरगाह अवसंरचना, तटीय विकास और कनेक्टिविटी को समर्थन देता है।
 - ▲ तटीय बर्थ, रेल/सड़क कनेक्टिविटी, मछली बंदरगाहों और क्रूज टर्मिनलों जैसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- **मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 (MIV 2030):** 2030 तक भारत को शीर्ष 10 शिपबिल्डिंग राष्ट्रों में शामिल करने और एक विश्वस्तरीय, कुशल और सतत समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का लक्ष्य।
 - ▲ दस प्रमुख समुद्री क्षेत्रों में 150+ पहलों को शामिल करता है।
- **आंतरिक जलमार्ग विकास:** भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) द्वारा 26 नए राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की गई।
 - ▲ वैकल्पिक, सतत परिवहन प्रदान करता है, जिससे सड़क/रेल की भीड़ कम होती है।

- **ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम (GTTP):** ईंधन आधारित हार्बर टम्स को पर्यावरण-अनुकूल, टिकाऊ ईंधन से चलने वाले टम्स से बदलने का लक्ष्य।
 ▲ 2040 तक प्रमुख बंदरगाहों में संक्रमण पूरा किया जाएगा।
- **सागरमंथन संवाद:** भारत को वैश्विक समुद्री संवादों का केंद्र बनाने के लिए वार्षिक समुद्री रणनीतिक संवाद।
- **मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड:** बंदरगाहों और शिपिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए ₹25,000 करोड़ का दीर्घकालिक वित्तपोषण कोष।
- **शिपबिल्डिंग वित्तीय सहायता नीति (SBFAP 2.0):** भारतीय शिपयार्ड्स को वैश्विक दिग्गजों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता करने के लिए आधुनिकीकृत।

निष्कर्ष

- भारत का समुद्री क्षेत्र उल्लेखनीय विकास के लिए तैयार है, जिसे रणनीतिक पहलों और सरकारी योजनाओं द्वारा बल मिला है।
- 2024 में सागरमंथन के पहले संस्करण ने भारत की वैश्विक समुद्री नेतृत्व बनने की प्रतिबद्धता को अधिक सुदृढ़ किया, जिसमें स्थायित्व, कनेक्टिविटी और शासन जैसे प्रमुख विषयों पर हितधारकों को एकत्र किया गया।
- ये प्रयास भारत के समुद्री क्षेत्र को एक सतत, नवोन्मेषी और भविष्य-उन्मुख पारिस्थितिकी तंत्र की ओर ले जाएंगे, जिससे यह वैश्विक समुद्री परिदृश्य में एक केंद्रीय भूमिका निभा सकेगा।

Source: AIR

वैश्वीकरण के लिए प्रवासन आवश्यक है: अमर्त्य सेन

संदर्भ

- नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने हाल ही में इस बात पर बल दिया कि प्रवासन वैश्विक प्रगति का एक प्रमुख स्रोत रहा है, जिसने ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों के आदान-प्रदान को संभव बनाया है।

प्रवासन के बारे में


- प्रवासन का अर्थ है लोगों का सीमाओं के पार या देशों के अंदर स्थानांतरण — यह आपस में जुड़े विश्व की एक प्रमुख विशेषता है।
- यह अवसर, आवश्यकता या आकांक्षा से प्रेरित होता है और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और शासन को प्रभावित करता है।
- **प्रकार:**
 - ▲ **आंतरिक प्रवासन:** देश के अंदर (ग्रामीण-शहरी, अंतर-राज्यीय, intra-state)।
 - ▲ **अंतरराष्ट्रीय प्रवासन:** देशों के बीच स्थानांतरण।
 - ▲ **स्वैच्छिक बनाम मजबूरी आधारित:** विकल्प आधारित (नौकरी, शिक्षा) बनाम संकट प्रेरित (संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, उत्पीड़न)।
 - ▲ **मौसमी/चक्रवर्ती प्रवासन:** अल्पकालिक, प्रायः कृषि, निर्माण या अनौपचारिक कार्य से जुड़ा होता है।
- सुरक्षित, व्यवस्थित और मानवीय प्रवासन संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDG लक्ष्य 10.7) के अनुरूप होना चाहिए।

प्रवासन की प्रवृत्ति

- **वैश्विक प्रवासन:** वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 2020 में लगभग 281 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे — जो वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3.6% है — यह 2000 के 2.8% से लगातार वृद्धि दर्शाता है।
 - ▲ प्रवासन मार्गों में परिवर्तन आया है, जिनमें मैक्सिको-यूएसए, सीरिया-तुर्की, और भारत-यूएई प्रमुख हैं।
 - ▲ भारत, मैक्सिको और चीन प्रवास के शीर्ष स्रोत देशों में हैं, जबकि अमेरिका सबसे बड़ा गंतव्य और प्रेषण भेजने वाला देश बना हुआ है।
- **भारत में प्रवासन:** भारत अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों का सबसे बड़ा स्रोत देश है, जिसमें 1.8 करोड़ से अधिक भारतीय विदेशों में रह रहे हैं। NSSO के 78वें राउंड के अनुसार:

- ▲ विवाह प्रवासन का प्रमुख कारण है (68.2%), इसके बाद रोजगार (22%)।
- ▲ उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक प्रवासन मार्ग है।
- ▲ उपनगरीय मुंबई, पुणे और ठाणे में सबसे अधिक प्रवासी रहते हैं।

Causes of Migration: A Comprehensive Overview



प्रवासन का महत्व और यह वैश्वीकरण को कैसे बढ़ावा देता है

- **आर्थिक एकीकरण और श्रम गतिशीलता:** प्रवासी वृद्ध होती अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण श्रम की कमी को पूरा करते हैं, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा, निर्माण और तकनीक जैसे क्षेत्रों में।
 - ▲ अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन (IOM) के अनुसार, प्रवासी आर्थिक विकास में अनुपात से अधिक योगदान करते हैं। उदाहरण के लिए, चिली में लैटिन अमेरिकी प्रवासी केवल 3.5% कार्यबल का हिस्सा थे लेकिन 2009–2017 के बीच GDP वृद्धि में 11.5% योगदान दिया।
 - ▲ प्रवासन वैश्विक बाजारों में नवाचार और प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक प्रतिभा की त्वरित तैनाती को सक्षम बनाता है।
- **प्रेषण और पूंजी प्रवाह:** 2022 में प्रवासियों द्वारा भेजे गए प्रेषण \$831 बिलियन तक पहुंच गए — जो 2000 से 650% की वृद्धि है।
 - ▲ भारत ने अकेले \$111 बिलियन से अधिक प्राप्त किए, जिससे यह विश्व में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता बन गया। ये वित्तीय प्रवाह प्रायः प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश से अधिक होते हैं, जिससे मूल देशों की स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं और गरीबी कम होती है।

- **ज्ञान हस्तांतरण और नवाचार:** प्रवासी विविध दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाते हैं, जिससे मेज़बान देशों में नवाचार को बढ़ावा मिलता है।
 - ▲ प्रवासन वैज्ञानिक विचारों, सांस्कृतिक प्रथाओं और उद्यमशीलता मॉडल के आदान-प्रदान को संभव बनाता है।
- **सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समृद्धि:** प्रवासन सांस्कृतिक बहुलता को बढ़ाता है, जिससे नई भाषाएं, व्यंजन, कला रूप और परंपराएं सामने आती हैं।
 - ▲ विविध समाज अधिक लचीले, रचनात्मक और वैश्विक रूप से जुड़े होते हैं।

संबंधित चुनौतियाँ और भ्रांतियाँ

- **अनियमित और असुरक्षित प्रवासन मार्ग:** विभिन्न प्रवासी बिना कानूनी दस्तावेजों के स्थानांतरित होते हैं, जिससे उन्हें शोषण, तस्करी और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है।
 - ▲ संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2024 में 4.3 करोड़ से अधिक लोग जबरन विस्थापित हुए, जिनमें शरणार्थी और शरण चाहने वाले शामिल हैं।
 - ▲ IOM नियमित प्रवासन मार्गों की आवश्यकता पर बल देता है ताकि प्रवासियों की संवेदनशीलता कम हो और उन्हें अधिकारों तक पहुंच मिल सके।
- **अस्थिर कार्य स्थितियाँ:** प्रवासी श्रमिकों को प्रायः कम वेतन, खराब सुरक्षा मानक और सीमित स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं।
 - ▲ ILO के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार, प्रवासी औसतन स्थानीय श्रमिकों की तुलना में 25% कम कमाते हैं।
- **नीतिगत खामियाँ और शासन विफलताएँ:** भारत प्रवासन-संबंधी समझौतों के कार्यान्वयन में संघर्ष करता है, जबकि उसने कई गंतव्य देशों के साथ समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- ▲ एक सुदृढ़ प्रवासन अधिनियम की अनुपस्थिति और केंद्र व राज्य सरकारों के बीच समन्वय की कमी प्रभावी प्रवासन प्रबंधन को बाधित करती है।
- **लिंग और बाल संवेदनशीलताएँ:** महिला एवं बाल प्रवासियों को दुर्व्यवहार, तस्करी और हाशिए पर धकेले जाने का अधिक खतरा होता है।
- **जलवायु प्रेरित विस्थापन:** सूखा, बाढ़ और चरम मौसम की घटनाएँ संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवासन को प्रेरित कर रही हैं।
 - ▲ भारत के ओडिशा राज्य में, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में संकट प्रवासन प्रायः एक जीवित रहने की रणनीति होती है।
- **अवैध प्रवासन और राष्ट्रीय सुरक्षा:** देशों को मानवीय दायित्वों और सीमा नियंत्रण के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होता है।
 - ▲ भारत के पूर्वोत्तर राज्य पड़ोसी देशों से अवैध प्रवासन का सामना करते हैं, जिससे पहचान और नागरिकता पर बहस होती है।

आगे की राह

- **मानवीय और समावेशी नीतियाँ:** प्रवासन को एक अधिकार और अवसर के रूप में मान्यता दें, न कि खतरे के रूप में।
 - ▲ मतदान अधिकारों की सुरक्षा करें (अमर्त्य सेन की SIR पर चिन्ता)।
- **सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करें:** PDS, स्वास्थ्य, शिक्षा की सार्वभौमिक पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करें।
 - ▲ अनौपचारिक श्रमिकों के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करें।
- **संतुलित क्षेत्रीय विकास:** ग्रामीण अवसंरचना, कृषि प्रसंस्करण और छोटे शहरों में निवेश करें ताकि संकट प्रवासन को कम किया जा सके।
- **शहरी योजना:** प्रवासी जनसंख्या को टिकाऊ रूप से समाहित करने के लिए सस्ती आवास, स्वच्छता और परिवहन की व्यवस्था करें।

Source: TH

ओणम से पूर्व चेंदमंगलम का प्रसिद्ध हथकरघा उद्योग संकट में

संदर्भ

- ओणम के पास आने के साथ ही ग्राहक प्रामाणिक पारंपरिक परिधान की मांग कर रहे हैं, जिसे चेंदमंगलम हैंडलूम कहा जाता है।

चेंदमंगलम हैंडलूम उद्योग

- **सांस्कृतिक महत्व:** चेंदमंगलम (एर्नाकुलम, केरल) अपने पारंपरिक हैंडलूम उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी ओणम के दौरान विशेष रूप से मांग होती है।
- **बुनाई क्षेत्र में संकट:** 1980 के दशक में ~5,000 बुनकरों की संख्या घटकर अब ~500 रह गई है (जो 5 सहकारी समितियों में फैले हुए हैं)।
- **कारण:** रोजगार गारंटी योजनाओं का आकर्षण, कम वेतन की धारणा, और युवाओं की अरुचि।
 - ▲ यदि नए डिजाइन और बाज़ार की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन किया जाए तो पारिश्रमिक व्यावहारिक हो सकता है।



- **लचीलापन और नवाचार:** चेंदमंगलम-करिमपदम हैंडलूम कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 2018 की बाढ़ के दौरान गंदे कपड़ों से 'चेकुट्टी गुड़िया' बनाकर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया।

हैंडलूम उद्योग

- भारतीय हैंडलूम उद्योग विश्व के सबसे पुराने और जीवंत कुटीर उद्योगों में से एक है।
- स्वदेशी आंदोलन, जो 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ, ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आर्थिक प्रतिरोध के रूप में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दिया।

- ▲ इस विरासत के सम्मान में भारत सरकार ने 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस घोषित किया।
- 4वें अखिल भारतीय हैंडलूम जनगणना (2019-20) के अनुसार, लगभग 35.22 लाख परिवार इस कार्य में संलग्न हैं, और लगभग 72% आर्थिक रूप से सक्रिय बुनकर महिलाएं हैं।
- **शीर्ष निर्यात गंतव्य:** वित्त वर्ष 2024-25 में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा, इसके बाद क्रमशः संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम रहे।
- **उत्पाद:** 2024-25 में बने हुए उत्पाद जैसे कुशन कवर, परदे, टेबल लिनन और अन्य घरेलू वस्तुएं 42.4% योगदान देती हैं, इसके बाद फर्श सजावट जैसे कालीन, दरी एवं चटाई 40.6% योगदान देती हैं।
 - ▲ कपड़ों के सहायक उत्पादों का योगदान 12.7% रहा, जबकि कपड़े मात्र 4.3% रहे।



उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- **बुनकरों की घटती संख्या:** कम आय, सामाजिक सुरक्षा की कमी और आधुनिक कौशल प्रशिक्षण के

अभाव के कारण युवा पीढ़ी इससे दूर हो रही है।

- ▲ पारंपरिक बुनकर वृद्ध हो रहे हैं, जिससे कार्यबल सिकुड़ रहा है।
- **आर्थिक संकट:** कच्चे माल (कपास, रेशम, रंग) की लागत बढ़ रही है, लेकिन मध्यस्थों के शोषण के कारण बिक्री मूल्य कम है।
- **पावरलूम और मिलों से प्रतिस्पर्धा:** मशीन से बने वस्त्र सस्ते, तेजी से उत्पादित होते हैं और बाजार पर हावी हैं।
 - ▲ हैंडलूम उत्पाद बेहतर गुणवत्ता और विशिष्टता के बावजूद मूल्य प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं।
- **कमजोर विपणन और ब्रांडिंग:** ब्रांडिंग, आधुनिक रिटेल और ई-कॉमर्स अपनाने की कमी के कारण घरेलू और वैश्विक बाजारों में सीमित पहुंच है।
- **तकनीकी और कौशल अंतर:** पारंपरिक करघे श्रम-गहन और कम उत्पादक हैं।
 - ▲ परिवर्तित फैशन प्रवृत्तियों को पूरा करने के लिए डिजाइन नवाचार और आधुनिक प्रशिक्षण की कमी है।
- **वैश्वीकरण और आयात प्रतिस्पर्धा:** सस्ते आयात (विशेष रूप से चीन और बांग्लादेश से) भारतीय बाजारों में बाढ़ की तरह आ रहे हैं।
 - ▲ उच्च उत्पादन लागत और आक्रामक निर्यात प्रचार की कमी के कारण भारतीय हैंडलूम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है।

सरकारी पहलें

- **GeM ऑनबोर्डिंग:** बुनकरों को सरकारी विभागों को प्रत्यक्ष बिक्री करने की सुविधा देता है, सरकार के ई-मार्केटप्लेस (GeM) के माध्यम से।
- **कच्चा माल आपूर्ति योजना (RMSS):** 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए स्वीकृत।
 - ▲ इस योजना का उद्देश्य बुनकरों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण यार्न उपलब्ध कराना है।
- **विपणन सहायता:** हैंडलूम बुनकरों को विपणन मंच प्रदान करने के लिए एक्सपो और जिला स्तरीय कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

- **हैंडलूम उत्पादों का प्रमाणन:** हैंडलूम मार्क 2006 में शुरू किया गया ताकि हैंडलूम उत्पादों को विशिष्ट पहचान मिल सके।
 - ▲ 2015 में इंडिया हैंडलूम ब्रांड (IHB) शुरू किया गया, जो उच्च गुणवत्ता वाले हैंडलूम उत्पादों की ब्रांडिंग करता है।
- **छोटे क्लस्टर विकास कार्यक्रम (SCDP):** प्रत्येक क्लस्टर के लिए ₹2 करोड़ तक की आवश्यकता-आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **कौशल उन्नयन:** बुनकरों एवं सहायक श्रमिकों को नए बुनाई तकनीकों, आधुनिक तकनीकों को अपनाने और नए डिज़ाइन व रंग विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।
- **डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर (DRCs):** प्रमुख शहरों में स्थापित किए गए हैं ताकि हैंडलूम में डिज़ाइन उत्कृष्टता को बढ़ाया जा सके।
- **बुनकर कल्याण योजना:** इसमें राष्ट्रीय हैंडलूम विकास कार्यक्रम (NHDP), व्यापक हैंडलूम क्लस्टर विकास योजना (CHCDS), हैंडलूम बुनकर व्यापक कल्याण योजना (HWCWS), यार्न आपूर्ति योजना (YSS), और हथकरघा संवर्धन सहायता शामिल हैं।
- **बुनकर मुद्रा योजना:** कार्यशील पूंजी और नई तकनीक में निवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

हैंडलूम उद्योग की सुरक्षा के लिए GI टैग

- GI टैग वे आधिकारिक चिह्न होते हैं जो विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विशिष्ट गुणों वाले उत्पादों को दिए जाते हैं।
 - ▲ ये उत्पादों को अनधिकृत उपयोग या नकल से बचाते हैं और उपभोक्ताओं को प्रामाणिक वस्तुओं की पहचान करने में सहायता करते हैं।
- भारत में, वस्तुओं के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999, जो 2003 में लागू हुआ, उत्पादकों के हितों की रक्षा, GI के शोषण को रोकने और बाज़ार क्षमता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है।

- 2023 से 2024 के बीच, सरकार ने कई हैंडलूम उत्पादों को GI टैग प्रदान किए, जिससे उनकी पहचान और आर्थिक मूल्य में वृद्धि हुई। इनमें शामिल हैं:
 - ▲ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी हैंडलूम उत्पाद;
 - ▲ तमिलनाडु की चेडीबुट्टा साड़ी;
 - ▲ राजस्थान की जोधपुर बंधेज कला;
 - ▲ जम्मू और कश्मीर के बसोहली पश्मीना ऊनी उत्पाद;
 - ▲ उत्तराखंड के कुमाऊं की रंगवाली पिछोड़ा;
 - ▲ पश्चिम बंगाल की टांगेइल साड़ी;
 - ▲ पश्चिम बंगाल की गरद साड़ी;
 - ▲ पश्चिम बंगाल की कोरियल साड़ी।

Source: TH

राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025

संदर्भ

- भारत 23 अगस्त 2025 को अपना द्वितीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है, जिसका विषय है: “आर्यभट्ट से गगनयान: प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाएं”।
 - ▲ 23 अगस्त को “राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस” घोषित किया गया था ताकि चंद्रयान-3 मिशन की सफलता को सम्मानित किया जा सके, जिसने विक्रम लैंडर को ‘शिव शक्ति’ बिंदु पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराई और प्रज्ञान रोवर को चंद्र सतह पर तैनात किया।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र

- भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को दशकों की निरंतर निवेश नीति से लाभ मिला है, विगत दशक में \$13 बिलियन का निवेश हुआ, जिससे लगभग \$60 बिलियन का GDP योगदान प्राप्त हुआ।
- **अंतरिक्ष क्षेत्र की संभावनाएं**
 - ▲ **निर्यात क्षमता और निवेश:** वर्तमान में भारत की अंतरिक्ष सेवाओं में निर्यात बाजार हिस्सेदारी ₹2,400 करोड़ (\$0.3 बिलियन) है। इसमें ₹88,000 करोड़ (\$11 बिलियन) तक वृद्धि करने का लक्ष्य है।

- ▲ **अंतरिक्ष पर्यटन का उदय:** 2023 में अंतरिक्ष पर्यटन बाजार का मूल्य \$848.28 मिलियन था। यह 2032 तक \$27,861.99 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है।
- ▲ **रोजगार सृजन:** अंतरिक्ष क्षेत्र ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में 96,000 रोजगारों का समर्थन किया है।
 - प्रत्येक डॉलर के उत्पादन पर भारतीय अर्थव्यवस्था में \$2.54 का गुणक प्रभाव पड़ा और भारत की अंतरिक्ष कार्यबल देश की सामान्य औद्योगिक कार्यबल की तुलना में 2.5 गुना अधिक उत्पादक रही।

भारत की हालिया उपलब्धियाँ

- **मानव अंतरिक्ष उड़ान में प्रगति:** ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला Axiom Mission-4 के अंतर्गत ISS (अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन) पर जाने वाले प्रथम भारतीय बने। यह भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन 'गगनयान' का अग्रदूत माना जा रहा है।
- **NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह:** यह उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया।
 - ▲ NISAR प्रथम ऐसा उपग्रह मिशन है जो दो माइक्रोवेव बैंडविध क्षेत्रों—L-बैंड और S-बैंड—में रडार डेटा एकत्र करता है।
- **चंद्रयान कार्यक्रम:**
 - ▲ **चंद्रयान-1 (2008):** चंद्रमा पर जल अणुओं की पुष्टि की।
 - ▲ **चंद्रयान-2 (2019):** लैंडर विफलता के बावजूद मूल्यवान ऑर्बिटर डेटा प्रदान किया।
 - ▲ **चंद्रयान-3 (2023):** चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट-लैंडिंग करने वाला विश्व का प्रथम मिशन।
- **मंगल ऑर्बिटर मिशन (2013–2021):**
- प्रथम एशियाई मिशन जिसने प्रथम प्रयास में मंगल की कक्षा प्राप्त की।

- 7 वर्षों से अधिक समय तक वायुमंडलीय और स्थलाकृतिक डेटा प्रदान किया।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की चुनौतियाँ

- **प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बाजार हिस्सेदारी:** वैश्विक बाजार में 8% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी प्रतिस्पर्धा करनी होगी।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** निजी क्षेत्र ने रुचि दिखाई है, लेकिन अधिक निवेश और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी विकास और नवाचार:** पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन, लघु उपग्रह और उन्नत प्रणोदन प्रणालियों जैसी अत्याधुनिक तकनीकों के विकास के लिए भारी निवेश और अनुसंधान की आवश्यकता है।
- **नियामक ढांचा और लाइसेंसिंग:** लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं, निर्यात नियंत्रण और अनुपालन को नेविगेट करना जटिल हो सकता है।
- **अवसंरचना और सुविधाएं:** ऐसी अवसंरचना का विकास और रखरखाव करने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है।

भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रमुख सुधार

- **IN-SPACe की स्थापना (2020):** भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र एकल-खिड़की नियामक और सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, जो निजी कंपनियों को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति और प्रोत्साहन देता है।
- **न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (2019) के माध्यम से निगमीकरण:** इसे ISRO की वाणिज्यिक शाखा के रूप में स्थापित किया गया ताकि तकनीक का हस्तांतरण, उपग्रह/लॉन्च वाहन का निर्माण उद्योग के माध्यम से किया जा सके और वाणिज्यिक उपग्रह सेवाएं प्रदान की जा सकें।
- **भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023:** इसने ISRO, NSIL और निजी क्षेत्र की संस्थाओं की भूमिकाएं और जिम्मेदारियाँ निर्धारित कीं।

- ▲ इसका उद्देश्य अनुसंधान, अकादमिक संस्थानों, स्टार्टअप्स और उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है।
- **FDI मानदंडों का उदारीकरण (2024):** सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों को आसान बनाया ताकि वैश्विक पूंजी और तकनीक को आकर्षित किया जा सके, विशेष रूप से उपग्रह निर्माण और लॉन्च सेवाओं में।

आगे की राह

- भारत का लक्ष्य है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) की स्थापना की जाए और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उतारा जाए।
- **सततता और अंतरिक्ष शासन:** उत्तरदायी कक्षीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए मलबा-मुक्त अंतरिक्ष मिशन (DFSM) पहल को सख्ती से लागू किया जाए।
- **स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा:** पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन (RLVs), छोटे उपग्रह लॉन्चर और हरित प्रणोदन प्रणालियों को प्राथमिकता दी जाए।
- ▲ गहन अंतरिक्ष संचार नेटवर्क और क्वांटम-एन्क्रिप्टेड उपग्रह संचार में निवेश किया जाए।

Source: AIR

संक्षिप्त समाचार

भारत के महापंजीयक(RGI)

संदर्भ

- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने राज्यों से जन्म और मृत्यु के सार्वभौमिक पंजीकरण की दिशा में कदम उठाने का आग्रह किया है।

परिचय

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, सभी सरकारी अस्पतालों को जन्म और मृत्यु के 'रजिस्ट्रार' घोषित किया गया है।

- ▲ यदि घटना अस्पताल में हुई है, तो संबंधित चिकित्सा अधिकारी को इसे जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8 (1) (B) के अंतर्गत रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
- ▲ अस्पतालों को घटना की रिपोर्ट 21 दिनों के अंदर देनी होती है।
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 जिसे 2023 में संशोधित किया गया, अब RGI पोर्टल पर जन्म और मृत्यु का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य बनाता है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI)

- 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित। गृह मंत्रालय (MHA) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।
- **मुख्य कार्य:**
 - ▲ भारत की जनगणना
 - ▲ भारत की दशकीय जनगणना का संचालन करता है (1872 से प्रारंभ; नियमित रूप से 1881 से)।
 - ▲ जनगणना संचालन की योजना बनाना, समन्वय करना और निगरानी करना इसकी जिम्मेदारी है।
- **नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS):** पूरे भारत में जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की निगरानी करता है।
 - ▲ महत्वपूर्ण आंकड़ों के संग्रह में एकरूपता और सटीकता सुनिश्चित करता है।
- **महत्वपूर्ण सांख्यिकी:** जन्म, मृत्यु, मृत्यु के कारण और जनसंख्या गतिशीलता पर डेटा एकत्र करता है, संकलित करता है और प्रकाशित करता है।
 - ▲ नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय डेटा प्रदान करता है।
- **नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS):** 1969 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर (IMR) का विश्वसनीय वार्षिक अनुमान प्रदान करना है।
 - ▲ यह दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली का उपयोग करती है (निरंतर गणना और स्वतंत्र सर्वेक्षण)।

Source: TH

स्ट्रे डॉग्स पर सर्वोच्च न्यायालय का संशोधित आदेश

संदर्भ

- सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में सभी स्ट्रे डॉग्स को आश्रयों में रखने के अपने पूर्व के निर्देश में संशोधन किया।

पृष्ठभूमि

- सर्वोच्च न्यायालय ने पहले दिल्ली-एनसीआर की नगर निकायों को आदेश दिया था कि वे स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर 6-8 सप्ताह के अंदर आश्रयों में रखें, क्योंकि कुत्तों के काटने और रेबीज़ के मामलों को लेकर सार्वजनिक सुरक्षा की चिंता व्यक्त की गई थी।
- इस आदेश को पशु कल्याण समूहों ने चुनौती दी, जिन्होंने तर्क दिया कि यह पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियम, 2023 का उल्लंघन है, जो नसबंदी के बाद स्ट्रे डॉग्स को उनके मूल स्थान पर वापस भेजने का प्रावधान करता है।

हालिया निर्णय में दिशानिर्देश

- **स्ट्रे डॉग्स की रिहाई:** स्ट्रे डॉग्स को नसबंदी, कृमिनाशन और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा, जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था।
- **रेबीज़ या आक्रामक कुत्ते:** ऐसे कुत्तों को भी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा, लेकिन उन्हें अलग आश्रयों/पाउंड्स में रखा जाएगा।
- **भोजन संबंधी नियम:** सड़कों पर स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाना प्रतिबंधित है। नगर निकायों को प्रत्येक वार्ड में समर्पित भोजन क्षेत्र स्थापित करने होंगे, जिनके स्थान की जानकारी देने वाले साइनबोर्ड लगाए जाएंगे।
- **गोद लेने का विकल्प:** पशु प्रेमी नगर निकायों के माध्यम से स्ट्रे डॉग्स को गोद ले सकते हैं, बशर्ते कि गोद लिए गए कुत्ते फिर से सड़कों पर न लौटें।
- **निगरानी और प्रवर्तन:** नगर निकायों को उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए हेल्पलाइन बनानी होगी।

- ▲ कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले एनजीओ और व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

Source: IE

अधिगम परिणाम-आधारित पाठ्यचर्या रूपरेखा का प्रारूप (LOCF)

समाचार में

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने लर्निंग आउटकम-आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (LOCF) का मसौदा जारी किया है।

लर्निंग आउटकम-आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (LOCF) का मसौदा

- यह पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक शैक्षणिक ढांचे में समाहित करके स्नातक शिक्षा को पुनर्परिभाषित करने का प्रयास करता है, लेकिन इसके दृष्टिकोण को अकादमिक संतुलन और राजनीतिक प्रभाव को लेकर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।
- जिन विषयों को शामिल किया गया है वे हैं: मानवशास्त्र, रसायन विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, गृह विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा और राजनीतिक विज्ञान।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कैसे अलग है?

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुविषयक और समग्र शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, जबकि LOCF का मसौदा एकल-विषय विशेषज्ञता पर केंद्रित है, जिसमें अधिकांश क्रेडिट विषय-विशिष्ट पाठ्यक्रमों को समर्पित हैं।
- ▲ वाणिज्य के लिए भी इसी तरह की संरचना प्रस्तावित की गई है, जिससे बहुविषयक अध्ययन की संभावना सीमित हो जाती है।

मुख्य विशेषताएँ

- LOCF का एक प्रमुख फोकस भारतीय ज्ञान प्रणालियों (IKS) का विभिन्न विषयों में एकीकरण है। प्रत्येक विषय में प्राचीन भारतीय विचारों और परंपराओं के तत्व शामिल किए गए हैं। उदाहरण के लिए:

- ▲ **रसायन विज्ञान** सरस्वती को नमन से शुरू होता है और पारंपरिक किण्वित पेय तथा प्राचीन भारतीय परमाणु सिद्धांत को शामिल करता है।
 - परमाणु संरचना की इकाई में प्राचीन भारत में परमाणु की अवधारणा की पुनरावृत्ति बोहर सिद्धांत और उसकी सीमाओं के साथ पढ़ाई जाएगी।
- ▲ **गणित** मंडल ज्यामिति, यंत्र, रंगोली, कोलम और भारतीय गणितज्ञों के बीजगणित, कलन आदि में योगदान को शामिल किया जाएगा।
- ▲ **वाणिज्य** कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राम राज्य और भारतीय दर्शन को नैतिकता, शासन एवं सततता की शिक्षा में समाहित किया गया है। 'राम राज्य' (समान शासन) जैसे विचारों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और समकालीन पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन (ESG) ढांचे के संदर्भ में खोजा जा सकता है।
- ▲ **अर्थशास्त्र** धन के धर्मिक दृष्टिकोण, श्रेणी संहिताएं, पारिस्थितिक मूल्य और स्वदेशी व्यापार प्रणालियों की शिक्षाएं शामिल हैं।
- ▲ **मानवशास्त्र** चरक, सुश्रुत, बुद्ध और महावीर के योगदान को भारतीय परंपराओं में ज्ञान को संदर्भित करने के लिए उजागर किया गया है।
- ▲ **भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पाठ्यक्रम** वी.डी. सावरकर की 'भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध' को पाठ्यक्रम की पढ़ने की सूची में शामिल किया गया है।

Source: IE

अनुच्छेद 311

समाचार में

- जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 का उदाहरण देते हुए कथित रूप से राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।

अनुच्छेद 311 के बारे में

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311, सिविल सेवकों (अर्थात्, संघ या राज्य के अधीन सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्तियों) को सरकार द्वारा मनमाने ढंग से बर्खास्तगी, हटाने या पद में कमी के विरुद्ध प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करता है।
 - ▲ अनुच्छेद 311 केवल सिविल सेवकों पर लागू होता है, रक्षा सेवाओं के सदस्यों या उन लोगों पर नहीं जिनका रोजगार अन्यथा शासित होता है।
- **अनुच्छेद 311(1):** किसी भी सिविल सेवक को उसकी नियुक्ति करने वाले के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि केवल नियुक्ति प्राधिकारी या समकक्ष या उच्च पद का प्राधिकारी ही बर्खास्तगी या हटाने का आदेश दे सकता है।

Source: IE

द्रुज्बा पाइपलाइन

समाचार में

- यूक्रेनी सेना ने रूस के ब्रांस्क क्षेत्र में स्थित द्रुज्बा तेल पाइपलाइन के एक महत्वपूर्ण केंद्र, उनेचा पंपिंग स्टेशन पर आक्रमण किया।

परिचय

- द्रुज्बा पाइपलाइन ऐतिहासिक रूप से मध्य एवं पश्चिमी यूरोप में रूसी और कज़ाख तेल के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में कार्य करती थी।
- यह 5500 किलोमीटर लंबी है तथा बेलारूस एवं यूक्रेन से होकर गुजरती है, उत्तरी शाखा (पोलैंड और जर्मनी की ओर) और दक्षिणी शाखा (स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य की ओर) में विभाजित हो जाती है।

Source: TH

डायरेक्ट एक्शन डे

समाचार में

- विवेक अग्निहोत्री की आगामी फिल्म *द बंगाल फाइल्स*, जो 1946 के ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स (डायरेक्ट एक्शन डे) पर आधारित है, पश्चिम बंगाल में गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है।

डायरेक्ट एक्शन डे

- **पृष्ठभूमि:** मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण की योजना की घोषणा की, लेकिन कोई निश्चित तिथि नहीं दी गई।
 - ▲ कैबिनेट मिशन ने मई में एक अंतरिम सरकार का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया।
 - ▲ मुस्लिम लीग, जिसकी अगुवाई मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे, ने भारत के विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण की मांग की, तथा चेतावनी दी कि भारत या तो विभाजित होगा या नष्ट हो जाएगा।
- मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को “डायरेक्ट एक्शन डे” के रूप में नामित किया, ताकि मुसलमानों को हड़तालों और प्रदर्शनों के माध्यम से संगठित किया जा सके और पाकिस्तान की मांग को बल दिया जा सके।
- प्रदर्शन जल्द ही हिंदू-मुस्लिम समुदायों के बीच व्यापक सांप्रदायिक दंगों में बदल गए, विशेष रूप से कलकत्ता (अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल) में, और हजारों लोगों की मृत्यु हुई।

प्रभाव

- यह दिन भारत के विभाजन की दिशा में एक निर्णायक क्षण माना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप भारत दो अलग-अलग देशों में विभाजित हुआ।
- “ग्रेट कलकत्ता किलिंग” में अनुमानतः 5,000 से 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई और लगभग 15,000 घायल हुए। यह घटना उपमहाद्वीप के विभाजन के दौरान हिंदू-मुस्लिम हिंसा की सबसे भीषण एकल घटना मानी जाती है।

Source : IE

पोंजी योजना

समाचार में

- बेंगलुरु में एक फर्जी फर्म के जरिए ₹65 करोड़ की पोंजी योजना चलाने के आरोप में एक आईआईटी स्नातक को गिरफ्तार किया गया।

पोंजी योजना

- यह एक प्रकार की निवेश धोखाधड़ी है, जिसमें पुराने निवेशकों को रिटर्न का भुगतान वैध लाभ के बजाय नए निवेशकों के पैसों से किया जाता है।
- इसका नाम चार्ल्स पोंजी के नाम पर रखा गया है।
 - ▲ 1920 के दशक में, चार्ल्स पोंजी ने अंतरराष्ट्रीय मेल कूपन में निवेश के जरिए कुछ महीनों में 50% रिटर्न का वादा किया था, लेकिन वास्तव में उन्होंने नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान किया।
- यह कम जोखिम के साथ उच्च रिटर्न का वादा करता है, लेकिन नए निवेशकों के पैसे से पुराने निवेशकों को भुगतान करता है।
 - ▲ वास्तविक लाभ के अभाव में, जब नए निवेश धीमे हो जाते हैं या कई निवेशक पैसा निकाल लेते हैं, तो ये योजनाएं धराशायी हो जाती हैं।

Source : IE

रॉयल बंगाल टाइगर

संदर्भ

- हाल ही में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली में, वन्य मूल की रॉयल बंगाल टाइगर अदिति द्वारा जन्मे छह शावकों में से चार की मृत्यु हो गई।

रॉयल बंगाल टाइगर

- रॉयल बंगाल टाइगर (*Panthera tigris tigris*), जिसे भारतीय बाघ भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला बाघ की एक उप-प्रजाति है।
 - ▲ यह भारत का राष्ट्रीय पशु है और साथ ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है।
- **शारीरिक विशेषताएँ:** इनका रंग पीले से हल्के नारंगी तक होता है, जिस पर गहरे भूरे से काले रंग की धारियाँ होती हैं।
 - ▲ प्रत्येक बाघ की धारियों का पैटर्न अद्वितीय होता है, जैसे इंसानों की उंगलियों के निशान। ये उत्कृष्ट तैराक होते हैं और शिकार के दौरान नदियाँ और झीलें पार करने के लिए जाने जाते हैं।

- **वितरण:** ये मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार में पाए जाते हैं। भारत में रॉयल बंगाल टाइगर्स की सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है।
- **प्रजनन:** बंगाल टाइगर्स का गर्भकाल लगभग 3 महीने होता है, और मादा सामान्यतः एक बार में 4-5 शावकों को जन्म देती है।
- **IUCN स्थिति:** संकटग्रस्त (Endangered)
- **संरक्षण प्रयास:** भारत का प्रोजेक्ट टाइगर, जो 1973 में शुरू किया गया था, एक प्रमुख संरक्षण प्रयास है जिसका उद्देश्य बाघों के आवासों की रक्षा करना और उनकी जनसंख्या बढ़ाना है।



Source: IE

अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस

संदर्भ

- सरकार ने संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947 के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) और इसके अधिकारियों को विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान की है।

- ▲ **संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम, 1947** यह अधिनियम भारत में अंतरराष्ट्रीय संगठनों और उनके प्रतिनिधियों को विशिष्ट विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा प्रदान करने की अनुमति देता है।

अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA)

- IBCA की स्थापना 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नोडल संगठन के माध्यम से की गई थी।
- IBCA एक कानूनी संस्था तब बनी जब पाँच देशों—निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया—ने फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर इसके सदस्य बनने की औपचारिकता पूरी की। यह 95 रेंज देशों का एक गठबंधन है।
- **मुख्य उद्देश्य:**
 - ▲ संबंधित हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना।
 - ▲ सफल संरक्षण प्रथाओं का समेकन करना।
 - ▲ वैश्विक स्तर पर बिग कैट्स के संरक्षण के लिए विशेषज्ञता का उपयोग करना।
- यह पहल बिग कैट्स के सतत भविष्य के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करती है और साथ ही भारत की वैश्विक वन्यजीव संरक्षण में नेतृत्व एवं प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

Source: DD

